

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक: शि0स0/मान्यता/ 876-77

/2024-25 दिनांक 27-05-2025

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

सिल्वर लाइन प्रिस्टिज स्कूल

ए 2/1 एवं ए-3/1, बुलन्दशहर रोड इंडस्ट्रील एरिया गाजियाबाद।

आपके पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराया है, जिसमें आपके द्वारा विद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक: मान्यता-शि0स0/17312-14/2018-19 दिनांक 31.03.2019 द्वारा विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक की मान्यता प्रदान की गई थी।

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम के विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तों/मानकों को पूरा करने, खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 27.05.2025 तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तों के मानकों को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओ0पी0सदक)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ0सं0:शि0स0-मान्यता/

/2025-26, दिनांक-यथावत्।

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद


Principal
Silver Line Prestige School
A-2/1, Buland Shahr Road
Indl. Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)

For Silver Line Prestige School


Chairman